

पत्रावली (२७)

24.5.22

पत्रावली पेश। कबील प्रार्थी उपस्थित।
अप्रार्थी सं.। स्वयं उपस्थित। ठाप्रार्थी सं.।
जे सपीनामा पेश करते हुए प्रार्थी



Hornet

के प्रार्थना पत्र भनुसार वांछित अनुमोद
द्वारे पर सहमति दी एवं कोई एतराज
संस्तुत नहीं किया। अप्रार्थ सं. 2 का पत्र
पूर्व में ही इच्छा प्रार्थना पत्र संस्तुत किया
जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थ का प्रार्थ
पत्र स्वीकार किया जाना प्रायोजित
प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थ का प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 251-क RTI स्वीकार
किया जाकर प. नं. 65/55 के क्रि. नं.
1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता की जगह में
से पाईपलाइन विधान की स्वीकृति
सहान की जाती है तथा प्रार्थना को
पाषाण किया जाता है कि पाईपलाइन
की गहराई कम से कम उछुट रहे।
पत्रावली बाद तस्वीर तस्वील होकर
दोषित दफ्तल है।

यह आदेश आज दिनांक
24.05.2022 को मेरे द्वारा जुबे न्यायालय
में लिखवाया जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
घडसाना